

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 02/2022

रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/3

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस  
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,  
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री आनंद राजभोई पुत्र श्री नाना लाल भोई  
निवासी 186, खटीक वाडा वार्ड 29,  
बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा  
(ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री आनंद राजभोई  
निवासी 186, खटीक वाडा वार्ड 29,  
बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा  
(सहऋणी)
3. श्री शेलेश राठोर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार  
निवासी 124, वार्ड नं. 29, उपला भोईवाडा,  
तहसील व जिला बांसवाडा (जमानती)

बनाम


निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 21.04.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री आनंद राजभोई पुत्र श्री नाना लाल भोई निवासी 186, खटीक वाडा वार्ड 29, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधक कर्ता) 2- श्रीमती सुनीता पत्नी श्री आनंद राजभोई निवासी 186, खटीक वाडा वार्ड 29, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (सहऋणी) 3- श्री शेलेश राठोर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी 124, वार्ड नं. 29, उपला भोईवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (जमानती) को दिनांक 28.12.2019 को राशि रुपया 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 06.11.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02-03-2021 को कुल बकाया ऋण राशि 2,30,000 रु. (दो लाख तीस हजार रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री आनंद राजभोई पुत्र श्री नाना लाल भोई की सयुक्त सम्पत्ति जो शीतला माता मंदिर व



  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)



नगर स्कूल के पिछे खटीक वाडा, तहसील व जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1657.54 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में शहरपना कोट, पश्चिम में रोड, उत्तर में अशोक भोई का मकान, दक्षिण में राजु खटीक का मकान है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।


प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 17-03-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हुए। दिनांक 11.02.2022, 02.03.2022, 21.03.2022, 06.04.2022 को अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 21.04.2022 को अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 3 दिनांक 21.03.2022 को उपस्थित हुए जिसके पश्चात् से वह अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वर्तमान में अनुपस्थित है।

अतः दिनांक 21.04.2022 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 का जवाब बंद किया गया एवं अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को




  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा) 21/4  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)  
बांसवाड़ा